

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शोडिया)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 220/25

दापर दिनांक 27.9.2025

निष्पद्य दिनांक

27.9.2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	शोडिया	805	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर प्रस्तापिका</p> <p>हस्ताक्षर निरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम शोडिया प.हं. शोडिया में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी)</p> <p>कपासन जिला- चितौडगाढ</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल शोडिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद करें।

तहसीलदार कपासन